निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या AMG-IV/FR-03 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड देहरादून के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.07.2020 से 20.07.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.05.2019 से 08.05.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वन विभाग का नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2017-18	0.26
2018-19	0.17
2019-20	0.31

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	155.11	155.11	1040.00	1040.00	-	-
2018-19	146.31	146.31	1126.63	1126.63	-	-
2019-20	214.03	207.03	-	-	-	7.00

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ हजार में)

वर्ष	**स्थापना योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015-16	समस्त योजनाएं	केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं	-	422199	415982	-	6216
2016-17	समस्त योजनाएं	केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं	-	253688	247821	-	5867
2017-18	समस्त योजनाएं	केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं	-	377300	369298	-	8002
2018-19	समस्त योजनाएं	केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं	-	562338	536232	-	26406
2019-20	समस्त योजनाओं का विवरण संलग्न है।	केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं	-	523124	462203	-	60921

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'B' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह ---------- को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा
भाग-II (अ)
शून्य

(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (ब)

प्रस्तर - 01 निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व की प्राप्ति।

व्यय की लेखा-परीक्षा
भाग-II (अ)
शून्य

व्यय की लेखा-परीक्षा
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 02 अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्षांत माह (मार्च,2020) में अत्यधिक व्यय (rush of expenditure) किया जाना।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर - 01 निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व की प्राप्ति।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) वन विभाग उत्तराखण्ड देहारादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में शासन से निर्धारित राजस्व लक्ष्य रू-51012.07-लाख के सापेक्ष रू-41124.27-लाख की राजस्व प्राप्ति हुई थी, जो निर्धारित लक्ष्य से रू-9887.80 लाख कम था | जिसमें से विभिन्न मदों जैसे इमारती लकड़ी, लीसा, ईधन और कोयला, पौधों की बिक्री एवं अन्य मद में भी कम राजस्व प्राप्ति हुयी थी |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश में 1000 मी॰ से ऊपर हरे वृक्षों का पातन वर्तमान में प्रतिबंधित हैं एवं विभाग को शासन द्वारा विगत वर्षों की तुलना में अधिक राजस्व लक्ष्य दिया गया था ।

विभागीय उत्तर मान्य नही था, क्योकि विभाग ने लीसा, ईधन और कोयला एवं पौध बिक्री से कम राजस्व प्राप्त होने के सम्बंध में उत्तर नहीं दिया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा उक्त प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्येक वर्ष के राजस्व लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। इस प्रकार निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम प्राप्त किये जाने से रू 9887.80 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 02 अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्षांत माह (मार्च,2020) में अत्यधिक व्यय (rush of expenditure) किया जाना।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) उत्तराखण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला सेक्टर/ राज्य सेक्टर एवं केंद्र/बाह्य सहायतित कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्ट मार्च, 2020 की जांच में पाया कि निम्नलिखित योजनाओं के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लगभग 100 प्रतिशत धनराशि बित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में ब्यय किया गया है जो कि वित्तीय नियमावली के विपरीत है-

(धनराशि ₹ लाख में)

राज्य सेक्टर			
अनुदान मद का नाम	प्रावधान	progressive expenditure	expenditure during the month of march
कार्बेट एवं राजाजी टाईगर रिजर्व का संरक्षण	1000.00	1000.00	1000.00
केंद्र पोषित योजना			
नन्दा देवी बायोस्फ़ेयर रिजर्व की स्थापना	266.04	106.81	106.81
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबीटेट	2470.76	1071.44	1042.38
		2178.25	2149.19

कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2178.25 लाख के सापेक्ष रु. 2149.19 लाख वर्षांत माह मार्च 2020 में ब्यय की गई थी। जबकि योजना बित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व ही सक्षम प्राधिकारियों से स्वीकृत करा ली जाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कि प्रश्नगत मदों के सापेक्ष धनराशियां कब-कब अवमुक्त/ जारी की गई, विभाग ने उत्तर में बताया कि "वित्तीय वर्षो में धनराशियां उपलब्ध की जाती है"।

अतः स्वीकृत योजना के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि वर्षांत माह (मार्च,2020) में व्यय (rush of expenditure) किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/FR-47/2013-14	-	01,02	-
FS/FR-95-2015-16	-	01	-
FS/FR-74-2018-19	-	01,02	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री (डा0) धनजंय मोहन	प्र. व. स. (01.04.19 से 13.09.19 तक)
2	श्री जे एस. सुहाग	अ. प्र. व. स. (14.09.19 से 28.09.19 तक)
3	श्री (डा0) धनजंय मोहन	प्र. व. स. (28.09.19 से 31.12.19 तक)
4	श्री जी.एस. पाण्डे जी	अ. प्र. व. स. (01.01.2020 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV